न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस अपील संख्या– आरटीए/258/2016

उनवान

1. श्रीमती जमनी पत्नी गिरधारी गाडरी निवासी बैमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. गणेश पुत्र गुलाब तेली निवासी बैमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा मृतक के वारिसानः–
   1/1 बद्री पिता गणेश तेली निवासी बैमाली
   1/2 श्रीमती नन्दू पत्नी गणेश तेली निवासी बैमाली,
   1/3 बाली पुत्री गणेश तेली निवासी बैमाली
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 07/2012 निर्णय दिनांक 24.6.2016

अभिभाषक : 1. श्री अब्दुल रसीद पठान ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 10.4.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/गणेश पुत्र गुलाब तेली ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी स्वामित्व की कृषि आराजी संख्या 3068 रकबा 1

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बीघा 12 बिस्वा ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली, तहसील करेडा में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं स्वामित्व की उक्त आराजी पर आवागमन करने का एक मात्र सुरल सुगम सुविधाजनक 15 फीट चौडा रास्ता बेमाली–चावण्डिया सार्वजनिक रास्ते से होकर विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी संख्या 3066 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा की दक्षिणी मेड से होकर अवस्थित है। इसी रास्ते से प्रार्थी वर्षो से अपनी खातेदारी की आराजी पर पैदल, ट्रेक्टर, संज, बैलगाडी आदि आता–जाता रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजियात पर आने–जाने का काई रास्ता अवस्थित नहीं है। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त रास्ते को थोहर व डोल लगाकर बन्द कर दिया है जिसका विपक्षी को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने पूर्ववत रास्ता कायम करने के लिए कहा तो विपक्षी संख्या 1 ने मना कर दिया । अतः विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी की आराजी संख्या 3066 रकबा 1बीघा 10 बिस्वा की दक्षिणी मेड पर नजरी नक्शे में मौके पर ए, बी, सी, डी को खुलासा करा 15 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी को दिलाया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में उसका अंकन किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं प्रत्यर्थी/अभिभाषक के बावजूद सुचना अनुपस्थिति से अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 8.7.2016 नियत थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किन्तु दिनांक 24.6.2016 को अपीलार्थी को बिना सूचना दिये उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बैमाली में रख दी गई और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.6.2016 को पारित किया गया। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 29.9.2016 को हुई । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जावे।

5. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम बैमाली तहसील करेडा की आराजी नम्बर 3068 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा में आवागमन हेतु अपीलार्थीया की आराजी संख्या 3066 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था। प्रकरण में दिनांक 22.4.2016 को आगामी पेशी दिनांक 8.7.2016 नियत की गई थी। अपीलार्थी को बिना सूचना दिये उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बैमाली में रख दी गई और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.6.2016 को पारित किया गया। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प बैमाली मे रखने की कोई सूचना अपीलार्थीया को नहीं दी गई थी। जिससे अपीलार्थीया अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाई थी।

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/विपक्षी ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी की प्राप्त हुई है जबकि प्रावधानों के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट आवश्यक है। जिस पर आपत्ति स्वीकार की गई थी एवं तहसीलदार करेडा को पुनः तहरीर जारी की गई थी कि तहसीलदार स्वयं, अथवा नायब तहसीलदार एवं भू अभिलेख निरीक्षक स्तर पर पक्षकारों की उपस्थिति में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मौका जांच कर रिपोर्ट पेश हो तथा तहरीर जारी नहीं होने पर दिनांक 26.11.2015 को पुनः तहसीलदार करेडा को पक्षकारों की उपस्थिति में मौका देखने के लिए लिखा गया था। लेकिन अपीलार्थी को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।केवल भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.4.2016 को प्रार्थी/विपक्षी की उपस्थिति मे मौका देखकर तहसीलदार के माध्यम से दिनांक 4.5.2016 को रिपोर्ट भेज दी गई। पत्रावली पर इसका कोई अंकन नहीं किया गया एवं न ही अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता को इसकी जानकारी हुई। चूंकि प्रकरण दिनांक 8.7.2016 को आगामी पेशी दिनांक 23.9.2016 को नियत किया गया था। अपीलार्थी को सूचना दिये बिना ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प बैमाली में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो विधिसम्मत नहीं है । रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर जाने के लिए दूसरा रास्ता उपलब्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

7. दिनांक 4.4.2018 को अपीलाण्ट ने एक इकरारनामा न्ययालय हाजा में प्रस्तुत किया जो रेस्पोडेण्ट गणेश के पुत्र बद्री, पत्नि नन्दु एवं पुत्री बाली की ओर से निष्पादित किया गया था। जिसमें यह अंकित किया गया है कि वे अब अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 3066 में से कोई रास्ता नहीं चाहते हैं तथा गांव वालों व मौतबिर व्यक्तियों की समझाईश से व पास–पास खेत होने की वजह से कोई रंजिश नहीं रखना चाहते हे। तथा न ही प्रथम पक्ष को रास्ते की कोई आवश्यकता है तथा बरसाती पानी प्रथम पक्ष की आराजी संख्या 3068 की पाली के पास से द्वितीय पक्ष निकालेगी जिसमें प्रथम पक्ष कोई उजर एतराज नहीं करेंगे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया ।

9. अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया वह सद्भावी एवं संतोषजनक होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया/विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था। प्रकरण में दिनांक 22.4.2016 को आगामी पेशी दिनांक 8.7.2016 नियत की गई थी। अपीलार्थी को बिना सूचना दिये उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बैमाली में रख दी गई और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.6.2016 को पारित किया गया। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प बैमाली मे रखने की कोई सूचना अपीलार्थीया को नहीं दी गई थी। जिससे अपीलार्थीया अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाई थी। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में जो मौका पर्चा बनाया गया उस पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर भी नहीं है। प्रकरण में अपीलार्थीया कथन है कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी आराजी पर जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है।

11. अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प बैमाली में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को सूचित किया जाना चाहिये था एंव यदि किसी पक्ष का कोई

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एतराज हो तो उसका भी निस्तारण करने के उपरान्त निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

12. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर , वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध या नहीं इस बिन्दु का निर्धारण कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.6.18 को उपस्थित रहे।

13. निर्णय आज दिनांक 10.4.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

10/4/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा